न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 11/2011

प्रार्थी–

दलित वर्ग संघ छात्रावास
जरिये अध्यक्ष श्री टीकमाराम
पुत्र विरधाराम जाति मेघवाल
निवासी बीसु कला तहसील
शिव जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. ग्राम पंचायत शिव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिव जिला बाड़मेर
2. विजय कुमार पुत्र भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी शिव जिला बाड़मेर
3. आईदानसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपुरोहित निवासी सवाईपुरा (धारवी) तहसील शिव जिला बाड़मेर
4. शम्भूसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी कोटड़ा तहसील शिव जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 249/2004 दिनांक 05.11.04 जो अप्रार्थी सं. 2 विजय कुमार के नाम अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत शिव द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री अम्बालाल जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री पुरूषोतमदास सोनी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 की ओर से उपस्थित।
3. श्री रमेश सोलंकी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 4 की ओर से उपस्थित।
4. अप्रार्थी सं 1 व 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 27/11/2019

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत शिव द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157 (ख) के तहत ग्राम शिव मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 249/04 दिनांक 05.11.2004 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के

जिला कलक्टर बाड़मेर

संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार कुल 6480 वर्गफुट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत शिव द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत शिव द्वारा आलौच्य पट्टे वाली भूमि सहित 350 गुणा 200 फुट का पट्टा सं. 137 दिनांक 02.10.1981 को प्रार्थी दलित वर्ग संघ छात्रावास, अध्यक्ष शिव के नाम से जारी किया गया है, तत्समय पूरे भूखण्ड 350 गुणा 200 वर्गफुट पर दलित वर्ग संघ छात्रावास का स्वामित्व एवं आधिपत्य निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा है। इस भूखण्ड पर अनुसूचित जाति के सदस्यों हु छात्रावास निर्मित था जो विगत भारी वर्षात व बाढ़ के कारण धराशायी हो चुका है, इसके अलावा इस भूखण्ड पर वर्ष 2005 मे सामुदायिक सभा भवन अम्बेडकर शिक्षण संस्थान, वृद्धों के लिये आश्रम व छात्रों के लिये 40 गुणा 60 फुट भू–भाग पर भवन निर्मित हैं। इस प्रकार स्पष्ट रूप से उक्त 350 गुणा 200 फुट भूखण्ड पर दलित वर्ग संघ का कब्जा होने के बावजूद विवादित पट्टा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी किया गया हैं जो पूर्णतया अनाधिकृत एवं अवैध ही नही बल्कि विधि विरूद्ध है जो निरस्तनीय हैं।

3. प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 2 विजय कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत करने की कोई दिनांक अंकित नही हैं और इस पत्रावली हेतु संधारित पत्रावली की अंतिम आदेशिका में सरपंच के हस्ताक्षर भी अंकित नही हैं। ग्राम पंचायत की ओर से गठित मौका निरीक्षण कमेटी में स्वंय आवेदक विजय कुमार को ही सदस्य नामित कर दिया गया हैं, इससे जाहिर होता हैं कि वार्ड पंच विजय कुमार एवं सरपंच ग्राम पंचायत ने मिली भगत कर अप्रार्थी सं. 2 को लाभ पहुंचाने की नियत से अवैधानिक कार्यवाही कर आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं। मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में मौके पर मकान व प्लॉट के चारों ओर दिवार बनी होना अंकित किया हैं जबकि मौके पर विजय कुमार का न तो पूर्व में कोई मकान था और न ही वर्तमान में हैं, इस प्रकार गलत व झूठी रिपोर्ट को आधार बनाकर आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं। इसी प्रकार उक्त मौका कमेटी में अन्य सदस्य वार्ड पंच श्रीमति मोहन कंवर हैं

जिला कलक्टर बाड़मेर

जो गंगासिंह की भाभी है व गंगासिंह को पडौसी होना बताते हुए बयान दर्ज करना दर्शाया हैं। उक्त गंगासिंह ने भी विवादित पट्टे से 15 दिन पूर्व अर्थात् 20.10.04 को प्रार्थी दलित वर्ग संघ की भूमि पर पट्टा सं. 67/2004 जारी करना जाहिर हुआ है। यद्यपि गंगासिंह के पक्ष में जारी पट्टा भी अवैध है किन्तु यह बिन्दु विचारणीय हैं कि विजय कुमार व गंगासिंह ने सरपंच ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर समस्त कार्यवाही को षडयंत्र पूर्वक अंजाम दिया है, इस आधार पर आलौच्य पट्टा निरस्त योग्य हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व जो सार्वजनिक आपत्ति आमंत्रण का नोटिस जारी किया गया हैं वह विधितः प्रकाशित नहीं किया गया हैं, इसके जारी करने के तिथी का अंकन सही नही है तथा कांट–छांट की गई है साथ ही इसकी पुश्त पर चस्पा कुनंदा का कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है और न ही मौतबिरान के नाम, वल्दियत व सकूनत का विवरण अंकित किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 1 व 2 को यह भली–भांति ज्ञात था कि यह भूमि दलित वर्ग संघ की हैं फिर भी जाली तरीके से कथित पट्टा जारी करवाया गया हैं जो निरस्त योग्य हैं। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में अवैध पट्टा जारी होने के बाद उसे आगे अप्रार्थी सं. 3 व 4 के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड बेचान हस्तान्तरण किया गया हैं। चुंकि मूल पट्टा विलेख अवैध व शुन्य हैं इसलिये ऐसे प्रारम्भ से शुन्य पट्टे के आधार पर किये गये बेचान भी प्रारम्भ से शुन्य हैं। मौके पर अप्रार्थी सं. 3 व 4 का कोई कब्जा नही है तथा गंगासिंह के पक्ष में जारी पट्टा सं. 67/04 को खारिज करवाने की कार्यवाही अलग से की जा रही हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत शिव द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम व नियमों के नियम 147 से 157 की कतई पालना नहीं की है इस आधार पर आलौच्य पट्टा सं. 249/04 निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

अप्रार्थी सं. 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं तथा अप्रार्थी सं. 4 ने निगरानी प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने के उपरांत दिनांक 03.05.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानीकर्ता व अप्रार्थी के बीच गांव के मौजिज व्यक्तियों के मध्य समझाईस एवं राजीनामा की वार्ता हुई जो अप्रार्थी को प्रकरण की विषयवस्तु की सम्पूर्ण जानकारी हुई तथा दस्तावेजों एवं अन्य तथ्यों का अवलोकन से अप्रार्थी सं. 4 को पूर्ण रूप से संतुष्टी हो गई हैं कि निगरानीकर्ता दलित वर्ग संघ छात्रावास शिव जरिये अध्यक्ष के नाम ग्राम पंचायत शिव द्वारा पट्टा 350 गुणा 200 फीट दिनांक 02.10.1981 प्रदान किया गया हैं ऐसे मे अप्रार्थी सं. 4 अपने क्रयशुदा विवादित भूखण्ड 35 गुणा 75 के स्वामित्व के दावे का परित्याग किया गया हैं एवं निगरानीकर्ता दलित वर्ग संघ छात्रावास शिव को सुपुर्द कर दिया हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर राजस्थान सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर बाड़मेर

अप्रार्थी सं. 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत शिव द्वारा दलित वर्ग संघ के पक्ष में दिनांक 02.10.1981 को जारी पट्टा गलत व अवैध था जिसे भिन्न–भिन्न न्यायालयों द्वारा पूर्व में अवैध व फर्जी होना करार दिया जा चुका है तथा वर्तमान में उक्त पट्टा सं. 137 दिनांक 02.10. 1981 के विरूद्ध अप्रार्थी सं. 3 की ओर से निगरानी सं. 12/2011 पेश की गई है जो विचाराधीन हैं। उक्त जवाब प्रस्तुत करने के उपरांत अप्रार्थी सं. 3 द्वारा प्रार्थी दलित वर्ग संघ, छात्रावास शिव के पट्टा सं. 137 दिनांक 02.10. 1981 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र दिनांक 29.08.2018 को जरिये विड्रॉ खारिज करने का निवेदन करते हुए प्रकट किया कि प्रार्थी विधि एवं विधिक प्रावधानों में पूर्ण विश्वास करता हैं तथा प्रकरण में अब तक हुए जांच एवं विचारण पश्चात प्रार्थी को इस तथ्य का भली–भाँति समाधान हो गया हैं कि विवादित भूमि पर अप्रार्थी सं. 3 का कोई हक–स्वामित्व नहीं है तथा प्रार्थी यह निगरानी प्रार्थना पत्र इसी प्रक्रम मे अप्रतिसंहरनीय रूप से वापिस लेता हैं जिसे जरिये विड्रा खारिज फरमाई जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि विवादित भूमि का पट्टा प्रार्थी के पक्ष में वर्ष 1981 में ग्राम पंचायत शिव द्वारा जारी किया गया था जिस पर पुनः अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में दिया गया पट्टा सं. 249/04 गलत एवं विधि विरूद्ध जारी किया गया हैं, क्योंकि उक्त भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा है। अप्रार्थी सं. 2 प्रार्थना पत्र पर ग्राम पंचायत द्वारा गठित कमेटी में एक तो स्वंय अप्रार्थी सं. 2 को ही वार्ड पंच के रूप में सदस्य नामित किया गया तथा कमेटी ने रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थी का रहवासीय मकान बना हुआ हैं जबकि मौके पर अप्रार्थी सं. 2 का कभी कब्जा नहीं रहा हैं। इस सम्बन्ध में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका कब्जा की रिपोर्ट दिनांक 25.06. 2018 का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि आक्षेपित पट्टा की भूमि मौके पर खाली है, किसी प्रकार का निर्माण नहीं है तथा उक्त भूमि पट्टाधारक श्री विजय कुमार के द्वारा श्री आईदानसिंह वल्द लक्ष्मणसिंह को बेचान की गई हैं। उक्त भूमि के पश्चिम में नेशनल हाईवे 68, उत्तर दिशा मे होली का प्लॉट, पूर्व में लूणकरण वगैरह की खातेदारी भूमि स्थिति हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत की ओर से गठित मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा प्रस्तुत की गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट झूठी होने से इंकार नही किया जा सकता हैं। इसके अलावा फौजदारी प्रकरण सं. 125/96 सरकार बनाम सुआ देवी के संदर्भ में उपखण्ड मजिस्ट्रेट, शिव की रिपोर्ट दिनांक 27.09. 2013 में यह बताया गया हैं कि राजीनामा के पक्षकार विजय कुमार द्वारा शपथ पत्र के द्वारा अंकित किया हैं कि विवादित भूमि दलित वर्ग संघ की हैं

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते
जिला कलक्टर बाड़मेर

जिसके खसरा नम्बर 250 पर प्रार्थी विजय कुमार का किसी प्रकार का अधिकार नही हैं तथा मौके पर भूमि का कब्जा दलित वर्ग संघ को सुपुर्द कर दिया हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर विवादित भूमि के मौके पर कब्जा दलित वर्ग संघ का होने का तथ्य पुख्ता हो जाता हैं। इसी प्रकार सिविल वाद सं. 41/2011 व 42/2001 आईदानसिंह में आईदानसिंह के संदर्भ में मौका रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जिसके बिन्दु सं. 5 अंकित किया हैं कि उक्त सम्पूर्ण भूखण्ड मार्क ''ए ई जे एम ए'' पर मेघवाल समाज का कब्जा है एवं इसी के बिन्दु सं 3 में अंकित हैं कि आईदानसिंह ने इसमे से मार्क ''ओ क्यू आर एन ओ'' अपना बताया था। इससे स्पष्ट हैं कि उक्त आलौच्य पट्टा की भूमि पुराने पट्टा सं. 137 की भूमि का हिस्सा थी जिसके बारे में स्वंय आईदानसिंह ने निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 12/2011 में स्वीकार कर अपना दावा विड्रॉ किया हैं। अप्रार्थी सं. 2 विजय कुमार ने अप्रार्थी सं. 3 आईदानसिंह व अप्रार्थी सं. 4 शम्भुसिंह को बेचान की गई हैं तथा उक्त दोनो ही अप्रार्थीगण आईदानसिंह व शम्भुसिंह ने लिखित रूप से स्वीकार किया हैं कि विवादित भूमि प्रार्थी दलित वर्ग संघ हैं जिस पर वे अपना दावा विड्रॉ करते हैं। इस प्रकार प्रकरण में जांच उपरांत अभिलेख पर आई साक्ष्य से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी को वर्ष 1981 में जारी पट्टा की भूमि में से अप्रार्थी सं. 2 विजय कुमार को आलौच्य पट्टा सं. 249/04 जारी किया गया हैं जबकि एक ही भूमि का दुबारा पट्टा भिन्न व्यक्ति को दिया जाना नियम विरूद्ध हैं, भलें ही आलौच्य पट्टा जारी करने में प्रक्रिया का पालन किया गया हों, लेकिन मौका निरीक्षण कमेटी की गलत मौका रिपोर्ट के आधार पर आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं जो अवैध, अनियमित कार्यवाही होने से अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत शिव द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 249/04 दिनांक 05.11.2004 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2019.11.28 18:35:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: